


न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प

लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

RE 30/-



भोला सिंह तनय स्व0 विश्वनाथ सिंह उम्री—66 वर्ष, पेशा—खेती, निवासी ग्राम—बघऊ,
तहसील चुरहट जिला सीधी (म0प्र0) ————— निगरानीकर्ता

बनाम

1. लच्छपति पटेल तनय भोला पटेल निवासी ग्राम धुम्मा पेशा खेती
2. बुद्धसेन पटेल तनय रामस्वयम्बर पटेल निवासी ग्राम—बघऊ पेशा—खेती
3. अम्बिका प्रसाद पटेल तनय बैजनाथ पटेल निवासी ग्राम बघऊ पेशा—खेती
4. रामचन्द्र पटेल तनय बैजनाथ पटेल निवासी ग्राम बघऊ पेशा—खेती
5. रामप्रसाद पटेल तनय बैजनाथ पटेल निवासी ग्राम बघऊ पेशा—खेती
6. रामगोपाल पटेल तनय बैजनाथ पटेल निवासी ग्राम बघऊ पेशा—खेती
7. अमर बहादुर पटेल पटेल तनय बैजनाथ पटेल निवासी ग्राम बघऊ पेशा—खेती
सभी तहसील चुरहट, जिला—सीधी (म0प्र0)
8. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर सीधी (म0प्र0) ————— गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा—50(1) म0प्र0 भू—राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध अपर कलेक्टर सीधी (श्री
डी०पी०वर्मन) न्यायालय के निगरानी प्रकरण क्र.
104/निगरानी/11—12 लच्छपति पटेल वगैरह
बनाम भोला सिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक
28.10.2017 के खिलाफ

मान्यवर,

निगरानीकर्ता भोला सिंह द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर
सीधी के न्यायालय निगरानी के प्रकरण क्रमांक—104/निगरानी/2011—12
लच्छपति पटेल वगैरह बनाम भोला सिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक—28.10.
2017 के खिलाफ यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, जिस निगरानी से सम्बन्धि-
त तथ्य संक्षिप्ततः यह है कि माननीय न्यायालय के निगरानीकर्ता श्री भोला

भोला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश खालियर
अनुबृति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक ॥०३००/२०१८/१५४,

जिला—सीधी

ओला सिंह/ लक्ष्मिति सिंह पटेल

(1)

(2)

(3)

०६.४.१९

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित।
आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी
प्रकरण क्रमांक 104/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक
28.10.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में
दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन
संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के
अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त
द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा
संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु
दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित
हो।

(महेशचन्द्र चौधरी),
सदस्य